पत्राँकः– YEIDA / उद्योग / 2026 / 132

दिनांक 10 / 04 / 2026

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जांता है कि यमुना एक्सप्रेसवे एण्टरप्रोन्योर एसोसिएशन द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिका संख्या–30636 / 2023 जिसमें एसोसिएशन के 102 सदस्यों द्वारा आवंटन तिथि से अवस्थापना सुविधाओं के साथ भूखण्ड का कब्जा दिये जाने की तिथि तक शून्यकाल का लाभ दिये जाने की मांग की गयी थी।

उक्त सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि 102 आवंटियों में से जिन 27 आवंटियों के पक्ष में चेकलिस्ट जारी होने के पश्चात भी वर्तमान तक अपने भूखण्ड की लीजडीड निष्पादित नहीं करायी है, इन 27 आवंटियों को सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के कम में अपने औद्योगिक भूखण्ड की लीजडीड निष्पादित कराये जाने हेतु दिनांक 31 मार्च, 2026 तक निःशुल्क समयविस्तार प्रदान किया गया था जिसकी अवधि बढाकर दिनांक–15 अप्रैल, 2026 कर दी गयी है।

सहायक महाप्रबन्धक (उद्योग)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल,कामर्शियल काम्पलैक्स,पी–2, सैक्टर–ओमेगा–1 ग्रेटर नोएडा,सिटी, गौतमबुद्ध नगर, 201308(उ0प्र0)